नगर परिषद, सवाई माधोपुर

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/SAWAI MADHOPUR/FIRENOC/2026-27/83122

जारी दिनांकः 17-JUN-2026 वैधता दिनांकः 16-JUN-2028

प्रेषित–

आवेदक का नाम श्री/श्रीमतीः THAKUR MADAN SINGH MAHAVIDHYALAYA

आवेदक का पताः TONK ROAD, KUSTALA, SAWAI MADHOPUR

विषयः– अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन **THAKUR MADAN SINGH MAHAVIDHYALAYA, TONK ROAD, KUSTALA, SAWAI MADHOPUR SAWAI MADHOPUR, SAWAI MADHOPUR, RAJASTHAN** का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह **स्थाई** (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से वेध तिथि अवधि तक ही मान्य होगा। वेध तिथि बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
2. फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र को किसी प्रकार का स्वामित्व दस्तावेज नहीं माना जावेगा।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
5. यदि राज्य सरकार का निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होगें व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घंटे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होगें।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रखरखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
10. भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
11. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
12. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
13. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत् आवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।
14. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेन्ट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेन्ट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
15. भवन के समस्त स्टाफ व सिक्योरिटी गार्डस को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।

Signed by: Chandra Kala Verma
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: SAWAI MADHOPUR, Rajasthan
Date: 17/06/2026 18:54:44

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, सवाई माधोपुर